

सिवनी/ सौसर

धूमा, कहानी, घंसौर, लखनादौन, उपरा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, बिठुआ, अमरवाड़ा

31 जुलाई तक जल अभावग्रस्त घोषित जिला

सिवनी, देशबन्धु। आगामी ग्रीष्म ऋतु में नागरिकों के लिये पीर्टि को लेकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संस्कृति जैन ने म.प्र. शासन राजस्व विभाग (राहत) भोपाल द्वारा सूखा, पेयजल संकट एवं अन्य समस्याओं से निपटने के लिये 03 नवम्बर 2007 में जारी निर्देशों की कंडिका 43 पर उल्लंघित म.प्र. पेयजल परिषिक्षण अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2002 के अंतर्गत संपूर्ण सिवनी जिले को 15 मार्च से 31 जुलाई 2025 तक लिये जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।

जारी अदेशासुर घोषित जल अभावग्रस्त अवधि में सक्षम अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, किसी भी सार्वजनिक स्रोत यथा-नदी, नालों, बधान, स्टॉपडेम, जलधारा, जलाशय, सार्वजनिक कंडों, झिराय तथा पेयजल के अन्य स्रोतों से सिंचाइ या औद्योगिक प्रयोग नहीं कर सकेगा। इसी तरह कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन, प्राधिकरण नलकूप खनन नहीं करेगा।

बिना अनुमति सार्वजनिक स्रोतों से सिंचाई एवं औद्योगिक प्रयोजन से नहीं लिया जा सकेगा पानी, बिना अनुमति नहीं होंगे नलकूप खनन

इस दौरान जिले में नदी, नालों, बधानों, नहरों, जलाशय एवं बांधों से पेयजल तथा निस्तार प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिये पानी का उपयोग करने पर जल संसाधन विभाग अथवा संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वे क्षेत्र में स्थापित मोटर पंप की सूची म.प्र. पर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को उपलब्ध करावें एवं ऐसे मोटर पंप के विद्युत विच्छेद संबंधित कार्यपालन अभियंता, म.प्र. पर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की द्वारा किया जायेगा।

यदि किसी व्यक्ति, संगठन, प्राधिकरण प्रतिवर्धित अवधि में सिंचाइ अथवा औद्योगिक प्रयोजन के लिये पानी के उपयोग की अनुमति चाहते हैं तो वे अधिनियम की धारा 4 एवं संबंधित नियमों के तहत आवेदन प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार

नवीन नलकूप, नलकूप गहरीकरण, नलकूप की साफ-फाफौ के लिये अधिनियम की धारा -6 एवं संबंधित नियमों के तहत आवेदन प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ-साथ नलकूप प्रदाय योजनाओं से पेयजल प्रदाय किये जाने में भी जन नल कनेक्शन वाले घरों में मोटर पंप स्थापित कर प्रेसर से पानी खींचा जाता है जिसमें अन्य घरों में पानी नहीं पहुंच पाता है। ऐसे स्थानों में संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका द्वारा भी मोटर जटी की कार्यवाही की जायेगी। जारी अदेशासुर नलकूप खनन, नलकूपों की साफ-फाफौ आदि की अनुमति 2025 को प्रात्ति 11 बजे से शाम 04 बजे तक युवा संगम कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसिशप मेला का आयोजन किया जा रहा है।

</div